

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(88)/Fin(Exp-IV)/2020-21/DS- IV / 3/0

Dated: 31/3/2021

Notification No 13/2020- State Tax

No. F.3(88) Fin.(Exp-IV)/2020-21/ DS-IV/ : In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred as said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance, Revenue-I No. 70/2019 – State Tax, dated the 28th August, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(33)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/64, dated the 28th August, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 31/3/2021

No. F3(88)/Fin(Exp-IV)/2020-21/DS- IV / 3/0

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

Delhi

4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

Mr. Amit, Jr. Ass't. / Incharge, IT Cell to upload on Department site.

AA
6/4/2021

SA-15

MB 6/4/2021

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (व्यय-IV) विभाग

सं.फा. 3(88) / वैत्त(व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / ३/०


अधिसूचना संख्या— 13 / 2020-राज्य कर

दिनांक: 3/3/2020

सं.फा. 3(88) / वित्त(व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराजपत्र पाल दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया) के नियम 48 के उपनियम (4) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर अंग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 70 / 2019-राज्य कर, तारीख 28 अगस्त, 2020, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं.फा. 3(33) / वित्त (राजस्व- I) / 2020-21 / डीएस-IV / 64, तारीख 28 अगस्त, 2020 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सेवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के पामें अधिसूचित करती है, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (4) के निवंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(मनोज कुमार)

उप सचिव-IV (वित्त)

सं.फा. 3(88) / वित्त(व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस-IV / ३/०

दिनांक: 3/3/2020

प्रति लेपि 1 मालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,

- नहीं दिल्ली।
- 6. वित्त मंत्री वं सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नहीं दिल्ली।
 - 7. अतिरिक्त र चेव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नहीं दिल्ली।
 - 8. संयुक्त निदेश क, राज्य संसाधन विभाग, विन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नहीं दिल्ली।
 - 9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29. दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
 - 10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नहीं दिल्ली।
 - 11. वेब साईट।
 - 12. गड्डी फाइल।

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)

उप सचिव-IV (वित्त)